गई। पत्रावली आयंदा दिनांक 25/8/20
को पेश हो।

24/8/20 पत्रावली प्रस्तुत। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा मौके का
निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण में यह पाया
गया कि चक 11 एच मु.नं. 61/25 (7) का कि.नं.
21 ता 25 से चाहे गये रास्ते की कोई आवश्यकता
नहीं है, क्योंकि पूर्व में ही वैकल्पिक रास्ता मौजूद
है। राजस्व नियमों में रास्ते की स्वीकृति का प्रावधान
केवल उस स्थिति में है, जब रास्ते की आवश्यकता
आत्यन्तिक हो एवं वैकल्पिक रास्ता मौजूद न हो।
वस्तुतः हस्तगत प्रकरण में ऐसा लेशमात्र भी नहीं
है, जिससे यह प्रतीत होता है कि चाहा गया रस्ता
केवल सुविधा के लिए है।

फलतः एतद्द्वारा यह आवेदन/प्रार्थनापत्र
द्वारा तहसीलदार अनूपगढ़ खारिज किया जाता
है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	जारी तामिल कर नम्बर/दिनांक
	टोटिफल दफ्तर हो। फैसला खरे इजलास सुनाया गया। [signature] 24/8/20	

Scanned with CamScanner